अतिआवश्यक
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 2501/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 14/03/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल..............................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड..................................

विषयः— **दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात् सीधी भर्ती के माध्यम से कार्यभारित/नियमित स्थापना के पदों पर नवनियुक्त होने वाले अथवा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई नियमितीकरण की नीति के तहत दैनिक वेनत भोगी सेवा से कार्यभारित/नियमित स्थापना में संविलयन किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा नियमित पेंशन प्राप्त करने हेतु दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण के संबंध में।**

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक 15962 दिनांक 22.12.2023 एवं पत्र कमांक 2316 दिनांक 11.03.2024

—0—

टी/ऽ पोर्टल

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात् सीधे नवनियुक्त होने अथवा दैनिक वेतनभोगी सेवा से नियमितीकरण प्राप्त करने वाले कार्यभारित/नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा उनके लिए लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर नियमित पेंशन हेतू दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों का प्रतिरक्षण कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्त जो उन पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होने संबंधी है एवं उनके द्वारा तत्समय उक्त शर्त के आधार पर नियुक्ति/नियमतिकरण को स्वीकार करने के तथ्यों के आधार पर करने के निर्देश दिये गये है।

विभाग के संज्ञान में रीवा संभाग के वर्ष 2013 में दैनिक वेतन भोगी सेवा से कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए कर्मचारियों के न्यायालयीन प्रकरण आये है जिनमें उन्होने माननीय उच्च न्यायालय से उनके नियुक्ति/नियमतिकरण आदेश में उल्लेखित कंडिका का विलोपन करने तथा उन्हें कार्यभारित एवं आकस्मिकता से देय कर्मचारी पेंशन नियम 1979 की कंडिका 6(3) के आधार पर नियमित पेंशन प्रदान करने की मांग की है।

14.3.2024

प्रकरणों की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग से यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि इन कर्मचारियों के मामले में **"म.प्र.कार्यभारित एवं आकस्मिकता से देय कर्मचारी पेंशन नियम 1979 का नियम 6(3)" लागू होते है अथवा नही।**

यह भी पाया गया है कि कुछ मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर याचिकाकर्ता कर्मचारियों के पक्ष में नियमित पेंशन प्रदान करने के निर्णय भी पारित किये गये है।

इस संबंध में आवश्यक प्रतिरक्षण हेतू आपको स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी दिनांक 01.01.2005 से लागू की गई नई पेंशन नीति यानि **"अंशदायी पेंशन योजना"** के तहत नवनियुक्त/नियमित होता है तो उस पर वर्ष 2005 के पूर्व लागू रही पेंशन योजना जो कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के मामले में **"म.प्र. कार्यभारित एवं आकस्मिकता से देय कर्मचारियों हेतू पेंशन नियम 1979"** एवं नियमित कर्मचारियों के मामले में **"म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976"** के कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो सकते है तथा उसे वर्ष 2005 से लागू की गई **"अंशदायी पेंशन योजना"** के तहत ही पेंशन लाभ प्राप्त होंगे। म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में जारी किये परिपत्र भी संलग्न कर प्रेषित है।

इस संबंध में आपकी जानकारी हेतू **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कं 3900–3901/2022 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राजमति देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20 मई 2022** की प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"जो कर्मचारी वर्ष 2005 एवं उसके पश्चात कार्यभारित/नियमित सेवा में नियुक्त अथवा संविलियन किये गये है वे अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अन्तर्गत ही शासित होंगे तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना के किन्ही प्रावधानों के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी"।**

कृपया इस प्रकृति के प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतू उक्त न्यायदृष्टांत को आवश्यक रूप से शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में लाना तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि प्रतिरक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही/उदासीनता आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

14.3.2024

प्रमुख अभियंता

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NOS. 3900-3901 OF 2022

The State of Bihar & Ors. ..Appellant (S)

Versus

Rajmati Devi & Anr. ..Respondent (S)

J U D G M E N T

M. R. Shah, J.

1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgment and order dated 11.04.2017 passed by the Division Bench of the High Court of Judicature at Patna in Letters Patent Appeal No. 1099/2016, by which, the Division Bench of the High Court has dismissed the said appeal preferred by the State and has confirmed the judgment and order dated 02.09.2015 passed by the learned Single Judge holding that respondent No. 1 being widow of the deceased employee would be entitled for grant

Signature Not Verified
Digitally signed by
Jatinder Kaur
Date: 2022.07.15
17:14:53 IST
Reason:

of family pension from the date of death of her husband, the State of Bihar has preferred the present appeals.

2. The husband of respondent No. 1 herein joined the Bihar Research Society, an autonomous society registered under Societies Act, as a peon. The said society was taken over by the Government of Bihar vide Bihar Research Society (Taking Over) Act, 2007. By resolution dated 31.08.2005, the State abolished the Old Pension Rules i.e., Bihar Pension Rules, 1950 and replaced the same with New Pension Scheme i.e., Bihar Government Servant Contributory Pension Scheme, 2005, w.e.f. 01.09.2005. As per the New Pension Scheme, the employees appointed after 31.08.2005 shall be governed by the new contributary pension scheme under which the government employees appointed after 31.08.2005 shall not be entitled to the pension/family pension. The Bihar Research Society (Taking Over) Act, 2007 (hereinafter referred to as the Act, 2007) came into force on 02.03.2009 resulting in taking over of the Institute/Society where the husband of respondent No. 1 was working. The husband of respondent

No. 1 died on 23.03.2013 while in service. The employees of the aforesaid Society were taken into government service vide order dated 25.03.2014 w.e.f. 02.03.2009. A corrigendum came to be issued by the State of Bihar amending the employment order dated 25.03.2014 substituting the word "appointed" with the word "absorbed". Clause 6 was inserted by the corrigendum stating that prior to date of acquisition, the service would not be calculated as government service. That respondent No. 1 filed the writ petition before the High Court praying for family pension and other retiral benefits. By judgment and order dated 02.09.2015, the learned Single Judge allowed the said writ petition and directed the State to pay the family pension to respondent No. 1 from the date of her husband's death i.e., 23.03.2013.

2.1 Feeling aggrieved and dissatisfied with the judgment and order passed by the learned Single Judge allowing the family pension, the State preferred the Letters Patent Appeal before the Division Bench of the High Court. By the impugned judgment and order, the High Court has

dismissed the said appeal and has confirmed the judgment and order passed by the learned Single Judge, which has given rise to the present appeals.

3. Learned counsel appearing on behalf of the appellant has vehemently submitted that pension and family pension was available to the employees of the State Government who were governed by the Old Pension Rules. It is submitted that when the husband of respondent No. 1 was absorbed in the year 2014 w.e.f. 02.03.2009, the Old Pension Rules were abolished and the New Contributory Pension Scheme was replaced. It is submitted that therefore, the Old Pension Rules were not applicable to the husband of respondent No. 1 and therefore, respondent No. 1 shall not be entitled to the family pension under the Old Pension Rules.

3.1 It is submitted that the Old Pension Rules were abolished on 01.09.2005 and thereafter, the New Pension Scheme came into force, therefore, New Pension Scheme was applicable to all the employees of the State Government, who were appointed/absorbed on or after 01.09.2005.

3.2 It is submitted that a corrigendum dated 22.06.2015 was also issued by the Government making it abundantly clear that the term of Government service will be calculated only from the cut-off date i.e., 02.03.2009 and the services of the adjusted employees, prior to date of acquisition in Bihar Research Society shall not be calculated as a government service. It is submitted that in that view of the matter, the High Court has committed a grave error in allowing the family pension applying the Old Pension Rules, 1950.

3.3 Making the above submissions, it is prayed to allow the present appeals.

4. The present appeals are vehemently opposed by Ms. Rachitta Rai, learned counsel appearing on behalf of respondent No. 1. It is vehemently submitted that the husband of respondent No. 1 was absorbed in the State Government service w.e.f. 02.03.2009 by way of adjustment vide Section 5 of the Act, 2007. It is submitted

that it was not a fresh appointment and therefore, his services were to be treated as continuous.

4.1 It is submitted that the husband of respondent No. 1 died in harness and while in service and therefore, as per clause 7(1) to the family pension scheme, on the death of her husband who died while in service, respondent No. 1 was entitled to the family pension and the family pension scheme being beneficial scheme, both, the learned Single Judge as well as the Division Bench of the High Court have rightly held that respondent No. 1 is entitled to the benefit of the family pension scheme.

5. We have heard learned counsel appearing on behalf of both the parties at length.

6. At the outset, it is required to be noted that the husband of respondent No. 1 came to be absorbed in the government service in the year 2014 w.e.f. 02.03.2009. Till 02.03.2009, he remained the employee of the Bihar Research Society, of which he was an employee and working. The Old Pension Rules, 1950 came to be

abolished and the New Contributory Pension Scheme came to be introduced w.e.f. 01.09.2005. Under the New Contributory Pension Scheme, there is no provision for pension/family pension. As per the Scheme, all those who are appointed after 31.08.2005 shall be governed by the New Contributory Pension Scheme. Therefore, at the time when the husband of respondent No. 1, who died in the year 2013, was absorbed, the Old Pension Rules were abolished and the New Contributory Pension Scheme was in existence. As per the corrigendum issued in the appointment order and as per clause 6, the prior service rendered by the concerned employee prior to his absorption shall not be treated as a government service. Therefore, the husband of respondent No. 1 can be said to be a government servant and in government service w.e.f. 02.03.2009 only. Therefore, the husband of respondent No. 1 was governed by the New Contributory Pension Scheme under which there is no provision for the pension/family pension. Therefore, the High Court has committed a grave error in directing the appellant to pay the family pension to respondent No. 1 applying the Old

Pension Rules, which were applicable prior to 31.08.2005. The aforesaid aspect has not been considered by the High Court at all and the learned Single Judge simply considered that on the death of the husband of respondent No. 1, who died in harness while in service, respondent No. 1 is entitled to the family pension under family pension scheme. However, the High Court has not at all considered that on coming into force the New Contributory Pension Scheme, no government employee appointed after 31.08.2005 shall be entitled to any other benefit except under the New Contributory Pension Scheme. In that view of the matter, respondent No. 1 shall not be entitled to the family pension under the Old Pension Rules, which were not applicable at the time when the husband of respondent No. 1 came to be absorbed in the government service w.e.f. 02.03.2009.

7. In view of the above discussion and for the reasons stated above, the impugned judgment(s) and order(s) passed by the High Court deserve(s) to be quashed and set aside. Accordingly, the judgments and orders passed by the

learned Single Judge as well as the Division Bench of the High Court holding that respondent No. 1 shall be entitled to the family pension under the Old Pension Rules are hereby quashed and set aside. It is observed and held that as the husband of respondent No. 1 was absorbed in the government service only w.e.f. 02.03.2009, he shall be governed by the New Pension Scheme i.e., Bihar Government Servant Contributory Pension Scheme, 2005. The present appeals are allowed, accordingly. No costs.

…………………………………J.
(M. R. SHAH)

…………………………………J.
(B.V. NAGARATHNA)

New Delhi,
May 20, 2022

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

---00---

कमांक/एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल,दिनांक 13/04/2005
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त क्लेक्टर (म.प्र.)

विषयः–राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना ।

–0–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1–1–2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाएगी । इस योजना के लिये संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत प्राप्त सभी शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा विस्तृत नियम बनाये जा रहे हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–9/3/2005/नियम/चार, दिनांक 2–4–2005 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976, में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को दिनांक 1–1–2005 के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगें । इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ –5/1/2005/नियम/चार, दिनांक 2–4–2005 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होगें ।

3/ परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1–1–2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिये निम्नानुसार अन्तरिम व्यवस्था लागू की जाती है :–

{1} प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके कार्यालय से वेतन पाने वाले दिनांक 1–1–2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी के मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा करेगा तथा अपनी स्थापना से संबधित ऐसे कर्मचारियों के मासिक अंशदान कटौती का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र में दर्ज कर वेतन देयक के साथ संलग्न करेगा।

{2} कोषालय अधिकारी प्रत्येक माह महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कटौती का विवरण प्रेषित करेगा।

{3} परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन कटौती से प्राप्त धनराशि तथा शासन अंशदान की राशि लोक लेखा के रूप में रखी जायेगी।

{4} अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त कर्मचारी अंशदान व शासन के अंशदान से प्राप्त धनराशि से संबधित लोक लेखा के संधारण हेतु निर्देश महालेखाकार मध्यप्रदेश के परामर्श से पृथक जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए० पी० श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांकः एफ 9/3/2003/नियम/चार   भोपाल दिनांक 13 अप्रेल 2005

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय,भोपाल ।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
25. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो—100—असविवि—19-4-2005—1,000.

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक:एफ -9/3/2003/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक:एफ -9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13अप्रैल, 2005.

-***-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं । विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1 जनवरी, 2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिए संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13अप्रेल, 2005 के अनुसार अन्तरिम व्यवस्था लागू की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली योजना राज्य शासन के नियत्रंणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / निगमों /मंडलों /सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित हैं, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को लागू की जाए । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफः 9/3/2003/निंयम/चार , दिनांक 13अप्रैल, 2005 द्वारा जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है ।

3/ इस संबंध में कृपया आपके अधीन कार्यरत स्वशासी संस्थाओं /विश्वविद्यालयों /निगमों / मंडलों / सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमित बोस)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

...nta//Crcu/05

वेतन देयक से कटौत्रा अंशदान दर्शाने वाला पत्रक

माह ---------------------------

सेवा का लेखा शीर्ष ----------------------- जमा का लेखा शीर्ष : 8001 बीमा तथा पेंशन निधियां
106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
(0004) शासकीय कर्मचारी
अंशदान पेंशन योजना, 2005

सरल क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कर्मचारी के क्रमांक सहित	कर्मचारी से अंशदान
1	2	3

कार्यालय प्रमुख / आहरण संवितरण अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
–0–

क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार/ भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (म0प्र0)

विषयः–राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भः–विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.4.2005

––00––

मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक–1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है । वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13.4.2005 द्वारा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान प्राप्त करने शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखों के संधारण के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है । दिनांक–1.1.2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत लेखा संधारण संबंधी अंतरिम निर्देश इस ज्ञाप के साथ संलग्न है ।

2. उक्त विस्तृत निर्देशों के अनुरूप नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना संबंधी विस्तृत लेखा संधारण किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाने के लिए कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जॉए ।

संलग्नः–एक

(ए0पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : एफ 9-3/ नियम/चार/2003 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Dsk/Adesh//sunita/1

मध्यप्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लेखा संधारण संबंधी अंतरिम निर्देश

यह योजना 1.1.2005 अथवा इसके पश्चात राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा या सिविल पदों पर नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी ।

2. राज्य शासन मध्यप्रदेश के सामान्य भविष्य निधि नियम, दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगें । ऐसे कर्मचारियों का कोई सामान्य भविष्य निधि खाता न खोला जावे और न ही कोई राशि इस प्रकार के खाते में जमा कराई जावे ।

3. शासकीय सेवक सेवा में उपस्थित होते ही परिशिष्ट–1 में स्वयं से संबंधित जानकारी/विवरण नाम, वेतनमान, जन्मतिथि, नामांकन तथा नामंकित व्यक्ति से संबंध की जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगा ।

4. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्देश कमांक–3 के अनुसार जानकारी संबंधित शासकीय सेवक से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त करे ।

5. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी माह के दौरान नियुक्त शासकीय सेवकों की जानकारी आगामी माह की 7 तारीख के पहले कोषालय अधिकारी के माध्यम से संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को एकजाई कर परिशिष्ट–2 में प्रस्तुत करेगा ।

6. परिशिष्ट–1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित किया जाकर विभागाध्यक्ष को भेजा जावेगा ।

7. शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी जो विभागाध्यक्ष को अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्राप्त होती है, को विभागाध्यक्ष द्वारा एकजाई कर संभागवार परिशिष्ट–2(अ) पर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध करानी होगी ।

..2..

8. कटौत्रा राशि के समतुल्य शासकीय अंशदान की राशि राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता योगदान के रूप में जमा की जावेगी ।शासकीय सेवक तथा शासन के अंशदान को निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जावेगा :—

मुख्य शीर्ष	8342	अन्य जमा
लघु शीर्ष	117	विविध जमा
उपशीर्ष	(01)	शासकीय सेवक का अंशदान-पेंशन योजना
उपशीर्ष	(02)	शासन अंशदान-पेंशन योजना

देय ब्याज निम्नानुसार शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

मुख्य शीर्ष	2049	ब्याज भुगतान
उप मुख्य शीर्ष	03	अल्प बचत एवं भविष्य निधियों पर ब्याज
लघु शीर्ष	117	परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज
उपशीर्ष	(01)	परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज

9. स्थायी पेंशन खाता कमांक का आवंटन संचालक, पेंशन मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जायेगा ।

10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन परिशिष्ट–2(अ) में प्राप्त जानकारी के आधार पर 7 दिवस के अंदर स्थायी पेंशन खाता कमांक संबंधित शासकीय सेवक को आवंटित कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संबंधित कर्मचारी तथा संबंधित विभागाध्यक्ष को प्राप्त प्रपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित करेगा ।

11. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय परिशिष्ट–2 में दर्शित विवरण अनुसार आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक नवनियुक्त कर्मचारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से शीघ्र प्रेषित करेगा ।

12. आहरण एवं संवितरण अधिकारी आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक की अभिस्वीकृति विभागाध्यक्ष को देगा तथा नवनियुक्त कर्मचारी को लिखित में सूचना देगा और समान प्रविष्टि वेतन देयक रजिस्टर में इन्द्राज करेगा ।

13. स्थायी पेंशन खाता कमांक की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा–पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जावेगी । यह स्थाई पेंशन खाता कमांक पूरे सेवाकाल के लिये एक ही रहेगा ।

..3..

14. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक के मूल वेतन+मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि मासिक अंशदान के रूप में जमा की जावेगी तथा कर्मचारी द्वारा इसका भुगतान किया जायगा । रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

15. शासकीय सेवक के अंशदान की गणना में कटौत्रा हेतु मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते/विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जावेगा ।

16. उपरोक्तानुसार अंशदान की राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के वेतन देयक से काटी जावेगी, एवं उक्त राशि को मुख्य शीर्ष 8342—117—(01) लघुशीर्ष में जमा/अंतरित की जावेगी ।

<u>टीप</u>— शासकीय सेवक से अंशदान की वसूली उसके सेवा में उपस्थित होने वाले माह के अगले माह के वेतन से प्रारंभ की जावेगी । शासकीय सेवक जिस माह में सेवा ग्रहण करता है उस माह कोई कटौत्रा उसके वेतन से नहीं किया जावेगा ।

17. शासकीय अंशदान मुख्य शीर्ष 8342—117—(02) के अंतर्गत कोषालय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा जमा की जावेगी ।

18. शासकीय अंशदान की राशि जमा किये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान शीर्ष—2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ उपशीर्ष (01) सिविल (101)-अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, (6854)-अंशदायी पेंशन योजना, 43—अंशदान, के अंतर्गत होगा ।

19. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा एक पृथक वेतन देयक पंजी का संधारण ऐसे कर्मचारियों हेतु किया जावेगा जिन्होंने 1.1.2005 से या इसके पश्चात शासकीय सेवा प्रारंभ की है । आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा एक पृथक वेतन देयक इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर्मचारियों हेतु तैयार किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि तक कोषालय में पत्रकों सहित प्रस्तुत करना होगा ।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वसूली पत्रक परिशिष्ट—3 में पूर्ण कर वेतन देयक के साथ संलग्न किया जावे ।

अंशदान की राशि का मिलान सम्पूर्ण वसूली की राशि से किया जावेगा

..4.

19

22. शासन के समतुल्य अंशदान हेतु परिशिष्ट–4 का उपयोग आहरण हेतु कोषालय अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जावेगा ।

23. ऐसे शासकीय सेवक जो प्रतिनियुक्ति पर है इनका मासिक अंशदान तथा समतुल्य नियोक्ता अंशदान चालान द्वारा कोषालय में जमा करना होगा । चालान में कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । कटौत्रा की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष कार्यालय की होगी ।

24. कोषालय अधिकारी ऐसे कर्मचारियों (1.1.2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त) के वेतन देयक प्राप्त होने पर आवश्यक जॉच कर भुगतान हेतु पारित करेगे ।

25. देयक से पेंशन अंशदान की राशि संबंधी प्रपत्र वेतन देयक से पृथक किया जावेगा तथा पत्र के माध्यम से संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजा जावेगा । लेखा संधारण हेतु अंशदान की राशि कर्मचारी के खाते (Ledger) में जमा की जाने हेतु संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को कोषालय द्वारा प्रेषित की जावेगी ।

26. इस पेंशन योजना के अंतर्गत विस्तृत अभिलेखों के रख–रखाव का कार्य संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन करेंगे । विस्तृत खाते संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा परिशिष्ट–5 के अनुसार संधारित किये जायेंगे ।

27. कर्मचारी अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि कर्मचारी के खाते तथा विस्तृत लेखे में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के द्वारा जमा की जावेगी । इस राशि का मिलान संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा महालेखाकार से किया जावेगा ।

28. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय नवनियुक्त शासकीय सेवक के पक्ष में जारी स्थायी पेंशन खाता कमांक के रख–रखाव हेतु विशेष पंजी परिशिष्ट–6 में वर्णित विवरण अनुसार रखेगा ।

29. कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा विभाग बदलने से नये खाते के आवंटन की आवश्यकता नहीं है, खाता निरन्तर रहेगा ।

30. शासकीय सेवक की असामयिक मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में अंतिम भुगतान की कार्यवाही से संबंधित प्रकिया पृथक से निर्धारित की जावेगी ।

31. जमा राशि पर ब्याज भुगतान का निर्धारण शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।

32. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक पत्रक तैयार करेंगे जिसमें प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष जमा राशि, देय ब्याज तथा शासकीय अंशदान को दर्शाते हुए अंतिम शेष का उल्लेख होगा ।

33. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वार्षिक लेखा कर्मचारी को उपलब्ध करावेंगे ।

34. आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्राप्त राशि के विवरण से कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा राशि का मिलान सुनिश्चित करेगा ।

35. यह निर्देश जारी होने के पूर्व की अवधि में परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ.9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.4.2005 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन कटौती से प्राप्त राशि तथा शासन अंशदान की राशि की पुष्टि कोषालय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार से करा ली जाए । यह राशि कर्मचारियों के खातों में जमा की जाने हेतु संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यालय को हस्तांतरित करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही कोषालय अधिकारी द्वारा की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के अंशदान तथा शासन के अंशदान की राशि सुनिश्चित की जाने हेतु उपर्युक्तानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश एवं संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

skm/18

परिशिष्ट–1
(निर्देश कमांक–3)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी से संबंधित जानकारी का पत्रक

(प्रथम नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी द्वारा भरा जावेगा)

1. कर्मचारी का नाम :————————————
2. पदनाम :————————————
3. कार्यालय का नाम:————————————
4. विभाग का नाम ————————————
5. कोषालय का नाम————————————
6. वेतनमान :————————————
7. जन्मतिथि :————————————
8. नियुक्ति दिनांक :————————————
9. मूल वेतन :————————————
10. पेंशन खाते में जमा राशि हेतु नामांकनः–

स.क.	नाम–निर्देशिति / नाम–निर्देशितियों का नाम	आयु	प्रत्येक को कितना हिस्सा संदत्त किया जाएगा	शासकीय कर्मचारी से संबंध

कर्मचारी के हस्ताक्षरः————————

आहरण एवं संवितरण अधिकारीः————————
डी0डी0ओ0 कोड कमांक..

एसकेएम/9

परिशिष्ट–2
(निर्देश कमांक–5)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत नियुक्त शासकीय सेवकों का विवरण पत्रक

(विभाग/कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)
(दो प्रतियों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड नंम्बर———————— प्रशासकीय विभाग का नाम ————————
कार्यालय का नाम एवं पता ———————————— विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम————————
माह................वर्ष ....

स.क.	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन	जन्मतिथि	नियुक्ति का दिनांक	पेंशन खाते में शेष राशि हेतु नाम–निर्देशिती/ नाम–निर्देशितियों का विवरण				कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

दिनांक————

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
कार्यालय की मुद्रा

परिशिष्ट– 2 (अ)

(निर्देश कमांक–7)

विभागाध्यक्ष द्वारा संभागवार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों का विवरण पत्रक

(विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजा जावेगा)

(दो प्रतियों में)

प्रशासकीय विभाग का नाम ________________

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम :——————————————

संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा विभाग को आवंटित कोड कमांक :————————

संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभाग का नाम : ....

स. क.	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम एवं पता	मूल वेतन	जन्मतिथि	नियुक्ति का दिनांक	पेंशन खाते में जमा राशि हेतु नाम–निर्देशिती/ नाम–निर्देशितियों का विवरण				रिमार्क	कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
							नाम	शासकीय सेवक से संबंध	प्रत्येक का हिस्सा (प्रतिशत)	नामांकन निरस्त होने की स्थिति		

परिशिष्ट–3
(निर्देश कमांक–20)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के अशदान का पत्रक
(आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

कार्यालय ————————
तहसील: ————————
जिला ————————

विभाग का नाम ————————
विभागाध्यक्ष का नाम: ————————

कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रू.)	मंहगाई भत्ता (रू.)	योग (कालम 4 + 5)	अंशदान की राशि (रूपये)	योग (रू.)	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

(शब्दों **में** रूपये ————————————————
चिन्हित कालम की पूर्ति अतरिम अवधि **में न** की जावे
इस पत्रक **में** उल्लेखित विवरण का मिलान वेतन देयक एव वेतन पजी से कर सत्यापित किया जावे

आहरण अधिकारी **के** हस्ताक्षर एव दिनाक– ————————
पदनाम ————————

परिशिष्ट–4
(निर्देश कमांक–22)

संयुक्त संचालक द्वारा शासन का अंशदान आहरण करने का प्रपत्र

आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम/कोड नम्बरः———————————————

विभाग का नाम	विभागाध्यक्ष का नाम	कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रू.)	मंहगाई भत्ता (रू.)	योग (कालम 4+5)	शासन का अंशदान	रिमार्क
		2.	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**

(शब्दों में रूपये ——————————————————)

इस पत्रक में उल्लेखित विवरण का मिलान वेतन देयक एवं वेतन पंजी से कर सत्यापित किया जावे

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांकः——————
पदनाम :——————

एल.एस./25

26

परिशिष्ट–5

(निर्देश कमांक–26)

परिभाषित अशदान पेंशन योजना का लेजर

(संभागीय सयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा सधारित किया जायगा)

नामः श्री श्रीमती/कु.0 ____________________

पदनामः– ____________ विभाग

नियुक्ति दिनाकः–____________

सेवा निवृत्ति का दिनाकः–____________ कर्मचारी को पृथक स आवटित स्थायी पेंशन खाता कमांक

माह	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता (रू.)	कर्मचारी का अंशदान (रू.)	शासन का अंशदान (रू.)	कुल योग (रू.)	रिमार्क		
अप्रेल								
मई								रू.
जून								
जुलाई							पूर्व का अवशेष	
अगस्त							वर्ष में जमा	
सितम्बर							आहरण	
अक्टूबर							ब्याज	
नवम्बर							वर्ष के अंत में शेष राशि	
दिसम्बर								
जनवरी								
फरवरी								
मार्च								

परिशिष्ट–6
(निर्देश कमांक–28)

कार्यालय का नाम (विभागाध्यक्ष)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का इंडेक्स रजिस्टर
(विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संधारित किया जायगा)

स्थायी पेंशन खाता कमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति दिनांक	विभागाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. 9/3/2006/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना.

संदर्भ.—विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ. 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13-4-2005.

मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिये संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13-4-2005 द्वारा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है. उक्त अंशदान पेंशन योजना के संदर्भ में कतिपय विभागों ने यह जानना चाहा है कि जो अधिकारी/कर्मचारी पूर्व से सेवा में है तथा जिनकी नवीन नियुक्ति पी.एस.सी./निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् की गई है उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू होंगे अथवा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1-1-2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में हैं तथा जिनकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् की गई है, ऐसे मामलों में मध्यप्रदेश सिविल (पेंशन) नियम, 1976 लागू होंगे. ऐसे कर्मचारियों के मामलों में वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 13-4-2005 द्वारा जारी अंशदान पेंशन योजना लागू नहीं होगी.

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक एफ. 9/3/2006/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए.
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल.
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश.
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल.
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष 84, मंत्रालय, भोपाल.
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी.
25. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित.

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1082—असविभो—7-11-2006—800.

30

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

क्रमांक / 540 / 2007 / भोपाल, दिनांक 31-3-2007

विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25/09/2006 के द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक से अंशदान की वसूली मुख्य शीर्ष 8342-117-(02) लघु शीर्ष में जमा की जा रही है। शासकीय अंशदान को कोषालय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश की कडिका 17 को संशोधित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक से अंशदान के रूप में प्राप्त कुल राशि के समतुल्य राशि को मुख्य शीर्ष 2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ, उप शीर्ष 01, सिविल (101) - अधिवार्षिकी तथा सेवा निवृति भत्ते (6854), अशंदायी पेंशन योजना, 43-अशंदान में विकलनीय करते हुए पुस्तकीय समायोजन के द्वारा मुख्य शीर्ष 8342 - 117 -(02) में महालेखाकार के द्वारा अंतरित की जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए0पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्रमांक / 541 / 2007 / भोपाल, दिनांक 31-3-07

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार / (आडिट) -1/2, म0प्र0 ग्वालियर / भोपाल.
2. संचालक, पेंशन, भोपाल.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म0प्र0.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल

क्रमांक : एफ 9/3/2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर्स,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भ- विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2006.

***

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-9-2006 द्वारा जारी किये गये हैं । उक्त निर्देशों में यह उल्लेख है कि "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक के मूल वेतन + महँगाई भत्ते की 10% राशि मासिक अंशदान के रूप में जमा की जावेगी तथा अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु महँगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते / विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जावेगा ।"

2/ वित्त विभाग के आदेश एफ 4/2/2007/नियम/चार, दिनांक 14-2007 द्वारा दिनांक 1-4-2007 से वर्तमान मूल वेतन के 50% के बराबर महँगाई भत्ता, महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किए जाने और पृथक से महँगाई वेतन के रूप में दर्शाए जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं । अतः संदर्भित आदेश दिनांक 25-9-2006 द्वारा जारी निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

3/ अतः दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांक 1-4-2007 से शासकीय सेवक के मासिक अंशदान तथा शासन के समतुल्य अंशदान की गणना मूल वेतन + महँगाई वेतन + महँगाई भत्ता के आधार पर संदर्भित परिपत्र में निर्दिष्ट दर से की जाए । वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25-9-2006 की शेष शर्तें यथावत रहेगीं ।

अजीत
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Paripatr//sunita/43

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 9/3/2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : 09 / 03 /2003/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 5 मई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25 सितम्बर 2006.

---000---

संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के निर्देश क्रमांक 7 के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कि अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा एकजाई कर परिशिष्ट-2 (अ) पर संभागवार संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था में संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक से संबंधित जानकारी संशोधित परिशिष्ट 2 (अ) (प्रारूप संलग्न) में कर्मचारी के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्येक माह की 15 तारीख से पहले उपलब्ध कराई जायगी । जिन मामलों में नियुक्तिकर्ता राज्य शासन है, उन मामलों में उक्त निर्धारित परिशिष्ट 2 (अ) पर जानकारी विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजी जायगी ।

2/ उक्त व्यवस्था लागू करने के लिए संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 की कंडिका -6 के अनुसार परिशिष्ट -1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित किया जाकर नियुक्तिकर्ता अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो को भेजा जावेगा ।

3/ संदर्भित परिपत्र दिनांक 25 सितम्बर 2006 के संलग्न परिशिष्ट-6 का संशोधित प्रारूप संलग्न है ।

संलग्न- 2

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Paripatr//53

34

परिशिष्ट–2(अ)
(निर्देश कमांक–7)

नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष द्वारा संभागवार परिभाषित अंशदानं पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों का विवरण पत्रक नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजा जावेगा
(दो प्रतियों में)

प्रशासकीय विभाग का नाम: ....
नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम:..
संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन संभाग का नाम:..

स.क.	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम एवं पता	मूल वेतन	जन्मतिथि	नियुक्ति का दिनांक	पेंशन खाते में जमा राशि हेतु नाम–निर्देशिती / नाम–निर्देशितियों का विवरण				रिमार्क	कर्मचारी को आवंटित स्थायी पेंशन खाता कमांक
							नाम	शासकीय सेवक से संबंध	प्रत्येक का हिस्सा (प्रतिशत)	नामांकन निरस्त होने की स्थिति		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

परिशिष्ट–6
(निर्देश कमांक–28)

कार्यालय का नाम– नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना का इंडेक्स रजिस्टर
(नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा संधारित किया जायगा)

स्थायी पेंशन खाता कमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति के कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति दिनांक	नियुक्तिकर्ता अधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.